A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

कृषि साख एवं फसल बीमा

कृषि साख

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 47वीं बैठक, जो 22 नवंबर, 2013 को संपन्न हुई, जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए फार्म सैक्टर में 4858.00 करोड़ के लक्ष्यके सापेक्ष रू0 2203.00 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(धनराशि–लाख रू0 में)

क्रय लोन		टर्म लोन		योग	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
56342	54551.00	31460	165697.00	87802	220248.00

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2013–14 के लिए कुल 2 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष माह **दिसम्बर, 2014 तक 56342 कार्ड जारी किये गये** हैं। अब तक **कुल जारी किये गये कार्डो की संख्या 8.48 लाख** है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है इसमें किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्राद्योगिकी का उपभोग करने के लिये प्रोत्साहन देना भी सम्मिलित है।

योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके सम्बन्ध में कम से कम 10 वर्षों के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व आंकड़ें उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई के प्रयोग किये जाते है। जंगली जानवरों से होने वाली हानि फसल बीमा योजना से आच्छादित नहीं हैं। वर्तमान में गेहूँ, चावल, मंडुवा की फसलें इस योजना के अर्न्तगत आच्छादित है।

संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहे हैं, के लिये योजना में प्रतिभाग करना अनिवार्य है जबकि संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसानों के लिये यह स्वैच्छिक कार्यक्रम है।

राज्य में विगत कुछ वर्षो से समय–समय पर सूखे की आपदा से फसलें प्रभावित हुई हैं, फलतः इस योजना से किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। वर्ष 2002–03 में यह कार्यक्रम पहली बार लागू किया गया था, तब से लेकर अब तक इस सुविधा का लाभ उठाने में लाभार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की खरीफ 2013 की प्रगति निम्नांनुसार है–

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति– खरीफ 2013

क्र0 सं0	जनपद	फसल	बीमित कृषकों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	बीमित धनराशि (लाख रू0में)	प्रीमियम (लाख रू0में)
1	चमोली	धान	587	456.91	135.06	3.38
2	देहरादून पर्वतीय	धान	660	225.24	109.02	2.73
3	पौड़ी गढ़वाल	धान	449	314.18	92.70	2.32
		मण्डुवा	65	15.78	3.23	0.08
4	रूद्रप्रयाग	धान	989	914.77	300.95	7.52
5	टिहरी गढ़वाल	धान	2274	2032.70	444.94	11.12
		मण्डुवा	48	37.36	8.37	0.21
6	उत्तरकाशी	धान	967	537.71	230.70	5.77
7	अल्मोड़ा	धान	193	154.74	49.90	1.25
		मण्डुवा	25	9.40	1.49	0.04
8	बागेश्वर	धान	27	12.84	3.67	0.09
9	चम्पावत	धान	258	247.74	81.83	2.05
		मण्डुवा	13	1.68	0.67	0.02
10	पिथौरागढ	धान	3402	2490.56	878.56	21.96
		मण्डुवा	26	1.11	0.21	0.005
11	नैनीताल	धान	0	0.00	0.00	0.00
		मण्डुवा	92	25.00	4.63	0.120
कुल योग			**10075**	**7452.71**	**2341.30**	**58.545**

मॉडिफाईड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

मॉडिफाईड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में आंशिक संशोधन करते हुये प्रायोगिक तौर पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रारम्भ किया हैं, जिसे रबी 2010–11 से जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में लागू किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्तमान में लागू योजना से निम्न बातों में भिन्न है–

1. प्रीमियम का भुगतान आधा कृषक द्वारा तथा आधा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
2. राज्य सरकार का दावों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, सभी दावों की प्रतिमूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की जायेगी।
3. क्षति का आकलन 3 वर्ष के औसत उत्पादकता के आधार पर न होकर 7 वर्ष के औसत आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि इस अवधि में भी 2 वर्षो में सूखे जैसी स्थिति होती है, तो इन अवधियों के औसत उत्पादकता स्तर को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा, जिसके कारण दावों के लिये सामान्य उत्पादकता का स्तर ऊॅचा रहेगा और किसानों को लाभ मिलेगा।
4. स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि एवं भू–स्खलन की क्षतिपूर्ति व्यक्तिगत आधार पर की जायेगी, यदि मौसम की प्रतिकूलता के कारण 50 प्रतिशत अधिक क्षति का अनुमान हो तो 25 प्रतिशत दावे की क्षतिपूर्ति कृषक को खड़ी फसल पर ही की जा सकती है। मॉडिफाईड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत रबी 2012–13 एवं खरीफ 2013 तक की प्रगति निम्नानुसार है–

क्र. सं.	जनपद	फसल	बीमित कृषकों की संख्या	बीमित क्षेत्रफल (हे0)	बीमित धनराशि (लाख रू0में)	बीमित धनराशि (लाख रू0में)
1	देहरादून (मै0)	खरीफ	2710	1660.60	525.59	525.59
		रबी	844	1300.50	143.18	4.80
2	हरिद्वार	खरीफ	9401	9952.47	3359.91	3359.91
		रबी	944	466.29	142.23	4.08
3	नैनीताल (मै0)	खरीफ	328	281.34	111.07	111.07
		रबी	1095	987.10	106.34	2.65
4	उधमसिंहनगर	खरीफ	3119	3399.20	1533.04	1533.04
कुल योग			**18441**	**18047.50**	**5921.36**	**5541.14**

भारत सरकार के अनुसार उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में रबी 2013–14 से राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अर्न्तगत मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई जा रही है।